संख्या-100/2021/आ0-11/23-9-2021-01एस0पी0एम0/2020

प्रेषक,

महेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 25 मार्च, 2021

विषय -वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन के अन्तर्गत नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-1678/(54-VI)/समग्र वृत्त/2020-21, दिनांक 05.03.2021 एवं पत्र संख्या-1676/(54-VI)/समग्र वृत्त/2020-21, दिनांक 05.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत जनपद चित्रकूट व गाजियाबाद के 20 नये मार्गों, जिनकी कुल लम्बाई 38.87 कि0मी0 के नवनिर्माण हेतु निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-6 के अनुसार कुल लागत रू0 31,34,55,000/- (रूपये इकतीस करोड़ चौंतीस लाख पचपन हजार मात्र), जिसमें लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि एवं अधिष्ठान व्यय व नियमानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष स्तम्भ-7 के अनुसार रू0 1,07,00,000/- (रूपये एक करोड़ सात लाख मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्लस्टर्स का नाम	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0 मी0 में)	अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत कार्य की कुल लागत (लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि व अधिष्ठान व्यय व जी0एस0टी0 सहित)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	चित्रकूट	मऊ मुस्तकिल	छिवली मार्ग के किमी0 1 से प्रा0वि0 छिवली होते हुए महादेव का डेरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.625	128.17	5.00
2	चित्रकूट	मऊ मुस्तकिल	सुरौंधा से महादेव सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.500	116.81	5.00

क्रमशः..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्लस्टर्स का नाम	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0 मी0 में)	अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत कार्य की कुल लागत (लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि व अधिष्ठान व्यय व जी0एस0टी0 सहित)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
3	चित्रकूट	मऊ मुस्तकिल	हटवा ततवार सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 से निजामुद्दीन तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.300	197.64	5.00
4	चित्रकूट	मऊ मुस्तकिल	बरवार से ताड़ी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.200	173.20	5.00
5	चित्रकूट	मऊ मुस्तकिल	बियावल रोड के किमी0 7 से चकअलैया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.625	50.65	4.00
6	चित्रकूट	मऊ मुस्तकिल	ताड़ी मार्ग के किमी0 6 से पिपरी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.500	201.52	7.00
7	चित्रकूट	मऊ मुस्तकिल	बम्बुरा मार्ग से काली मन्दिर होते हुए अनु0 बस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.200	90.71	4.00
8	चित्रकूट	मऊ मुस्तकिल	ताड़ी ग्राम के किमी0 6 से बम्बुरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	3.400	266.24	7.00
9	चित्रकूट	मऊ मुस्तकिल	बम्बुरी मार्ग से तिलिहा पुरवा भिटारी होते हुए ग्राम प्रधान के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.500	196.37	5.00
10	चित्रकूट	मऊ मुस्तकिल	मण्डौर से ताड़ी रोड नहर पुलिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.500	24.50	4.00
11	चित्रकूट	मऊ मुस्तकिल	अहिरी से बालापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	0.350	28.15	4.00
12	चित्रकूट	मऊ मुस्तकिल	सखौंहा से चकोर रोड से दुबारी नहर पटरी होकर मण्डौर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	5.000	372.48	8.00
13	चित्रकूट	मऊ मुस्तकिल	सेसा सुबकरा का मजरा जग्गी का डेरा से कालूराम का पुरवा तक निर्माण कार्य।	1.500	139.00	5.00

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्लस्टर्स का नाम	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0 मी0 में)	अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत कार्य की कुल लागत (लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि व अधिष्ठान व्यय व जी0एस0टी0 सहित)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
14	चित्रकूट	मऊ मुस्तकिल	छिवलहा का मजरा धोबिन पुरवा से पोखरा होते हुए एन0एच0-76 तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.600	220.60	7.00
15	चित्रकूट	मऊ मुस्तकिल	मनकुंवार से दौलतपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	3.500	186.56	5.00
16	गाजियाबाद	डासना देहात	कुडियागढ़ी से डासना इकल इनायतपुर मार्ग निर्माण का कार्य।	0.82	82.23	4.00
17	गाजियाबाद	डासना देहात	इकला-इनायतपुर मार्ग से गूजरगढ़ी मार्ग निर्माण का कार्य	0.90	56.23	4.00
18	गाजियाबाद	डासना देहात	दूधिया पीपल से भूड़गढ़ी मार्ग निर्माण का कार्य	1.50	205.61	7.00
19	गाजियाबाद	डासना देहात	कल्लूगढ़ी से इन्द्रगढ़ी वायास मयूर विहार मार्ग निर्माण का कार्य	2.40	203.38	7.00
20	गाजियाबाद	डासना देहात	कल्लूगढ़ी से जेल रोड मार्ग निर्माण का कार्य	1.95	194.50	5.00
			कुल योग-	**38.87**	**3134.55**	**107.00**

2- उपर्युक्त वर्णित कार्यो की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी -

(1) प्रश्नगत कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जांय ।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी ।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/ मद में किया जायेगा।

क्रमशः..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(9) अधिष्ठान व्यय की धनरशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार लागत का 6.875 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय की धनराशि अनुमन्य होगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-901/दस-2011-231-2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-00-800-05-00-00 ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट की जायेगी ।

(10) लेबर सेस की एक प्रतिशत की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11) मूल्य ह्रास निधि की 1.50 प्रतिशत की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(12) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(13) प्रश्नगत कार्यो को निर्धारित समयान्तर्गत गुणवत्तायुक्त् पूर्ण करायें तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्धकराना सुनिश्चित करें।

(14) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाय। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह के आवश्यकतानुसार ही किया जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गई धनराशि के 80 प्रतिशत कार्य का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(15) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य-1350 ''श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन'' के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण के कार्यो हेतु व्यवस्था, 00, 24-वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

क्रमश:..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-969/दस-2021, दिनांक 25 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेश कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

3- संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी

4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनउ ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 / वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।

6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

7- लोक निर्माण अनुभाग-10 ।

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(महेश कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।